न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : दीपक मेहता, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 13/14 (प्रार्थना पत्र)

निर्णय दिनांक : 20.02.2019

प्रकरण दर्ज दिनांकः 15.01.2014

अनवान्

1. श्री पप्पुसिंह पिता शंभूसिंह उर्फ प्रभूसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
2. श्रीमती विनोद कुंवर पुत्री शंभूसिंह उर्फ प्रभूसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
3. श्री चेनसिंह पिता शंभूसिंह उर्फ प्रभूसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
4. श्रीमती गिरजा कुंवर पुत्री शंभूसिंह उर्फ प्रभूसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
5. श्री भंवरसिंह पिता नारायण सिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
6. श्रीमती नानी कुंवर पुत्री नारायण सिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
7. श्री अर्जुनसिंह पिता अमरसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
8. श्रीमती सीता कुंवर पुत्री अमरसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
9. श्री अजीत सिंह पिता सत्यदेव सिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
10. श्री नरपत सिंह पिता सत्यदेवसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
11. श्रीमती जीवुबाई पुत्री रामसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
12. श्री कैलाश सिंह (माता जीवू बाई) पुत्र अमरसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
13. श्री हरिसिंह (माता जीवू बाई) पुत्र अमरसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
14. श्री मिकुसिंह (माता जीवू बाई) पुत्र अमरसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
15. श्री महेन्द्रसिंह (माता जीवू बाई) पुत्र अमरसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।
16. श्रीमती भंवरीबाई (माता जीवू बाई) पुत्र अमरसिंह चारण निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)।

______प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री सम्पत समोता पिता मीठालाल जी सामोता निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्री सम्पत लाल पिता सवराम जाति गुर्जर निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

3. श्री मनोहरलाल पिता गिरधारी गुर्जर निवासी दुदालिया, तहसील मावली, जिला उदयपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
5. उप पंजीयक सनवाड, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
6. पटवारी पटवार हल्का मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
7. पटवारी पटवार हल्का चंगेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

......................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री रमेश चन्द्र बडाला, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री मदनलाल नागदा अधिवक्ता विपक्षी सं. 2, 3।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 20.02.2019

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा आमली, पटवार क्षेत्र आमली में आराजी नम्बर 329 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 रवेचीदान, मणीराजसिंह, जनक कुंवर पिता शंकरदान के नाम 1/4 हिस्से से, वाद में प्रतिवादी संख्या 7 व 8 लागीसिंह, माधुसिंह पिता लालदान के नाम 1/4 हिस्से से एवं विपक्षी 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्से से अंकित है। ताईद में नकल जमाबन्दी पेश है।
2. आराजी नम्बर 337 रकबा 18 बीघा 10 बिस्वा लगानी 16.65 रूपया स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वाद में प्रतिवादी संख्या 13 रामी बाई पत्नी छगनलाल गायरी 92/140, वाद में प्रतिवादी नारायणसिंह के नाम 51/740 हिस्से से, प्रतिवादी दिनेश पुत्र शोभालाल के नाम 30/740 हिस्से से एवं जनक कुंवर पुत्री शंकरदान के नाम 1/10 हिस्से से एवं लांगीदान, माधुसिंह के नाम 5/35 हिस्से से अंकित है। मौजा दुदालिया, पटवार हल्का चंगेडी में आराजी संख्या 14, 221, 223 कीता 3 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में शंभूसिंह उर्फ प्रभूसिंह के नाम एवं आराजी म्बर 978/37 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में लांगीदान, माधुसिंह पिता लालदान के नाम अंकित है। आराजी नम्बर 7, 47 कीता 2 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नारायणसिंह के नाम 1/3, अमरसिंह के नाम 1/3 एवं सत्यदेव सिंह के नाम 1/3 हिस्से से अंकित है। आराजी संख्या 6, 46, 676/223 कीता 3 रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चोथबाई बेवा जसकरण चारण सा देह के नाम पर अंकित है। श्रीमती चोथबाई का लाऔलाद निधन हो गया है।
3. आराजी नम्बर 222, 238 कीता 2 रकबा 19 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नारायणसिंह, अमरसिंह, सत्यदेवसिंह पिता रामसिंह के नाम 1/4 हिस्से से, लालसिंह पिता आईदान के नाम 1/4 हिस्से से एवं चोथबाई बेवा जसकरण के नाम 1/4 हिस्से से एवं मदनसिह पिता गणेशदान के नाम 1/4 हिस्से से अंकित है। खातेदार लालसिंह, चोथबाई, मदनसिंह का निधन हो चुका है। कलम नम्बर 2,

Scanned by CamScanner

3 में वर्णित भूमि प्रार्थीगण उसके परिवार की संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित पैत्रिक सम्पति है जो हमारे मौरूस आईदान जी के वक्त से चली आ रही है। हमारे खानदान का सजरा इस प्रकार है:–

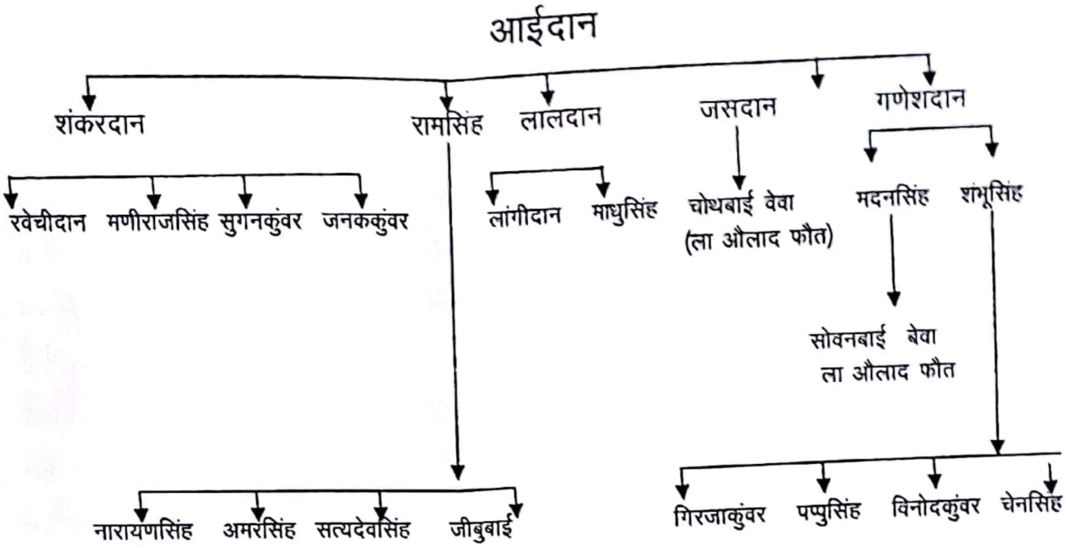

4. उक्त सजरे में वर्णित सजरे अनुसार शंकरदान, रामसिंह, लालदान, जसदान, गणेशदान का एवं जसदान की पत्नी चोथबाई का, मदनसिंह की पत्नी सोवनबाई का निधन हो चुका है। चौथबाई एवं सोवनबाई का लाऔलाद निधन हो गया है। चोथबाई के 1/5 हिस्से की भूमि चोथबाई के पति जसदान के भाई शंकरदान, रामसिंह लागीदान एवं गणेशदान के वारिसान् में हिस्सा बराबर से निहित हुआ जिससे आईदान जी की कुलिया भूमि के शंकरदान के वारिसान 1/4 हिस्से से, रामसिंह के वारिसान् 1/4 हिस्से से लालदान के वारिसान् 1/4 हिस्से से गणेशदान के वारिसान् 1/4 हिस्से से स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी हुए और इसी हक हिस्से अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में अंकित हुइ। शंकरदान की बेटी सुगन कुंवर ने अपना हक अपने भाई रवेचीदान के पक्ष में उत्यागित कर दिया जाने से सुगन कुंवर का हक हिस्सा रवेचीदान के नाम अंकित हो चुका है। प्रार्थना पत्र वर्णित कलम नम्बर 2 में वर्णित परिशिष्ट (क) की भूमि में प्रार्थी भंवरसिंह, नानी कुंवर एवं नारायणसिंह का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी अर्जुनसिंह, सीताकुंवर एवं अमरसिंह का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी अजीत सिंह, नरपतसिंह एवं सत्यदेवसिंह का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी कैलाशसिंह, हरिसिंह, चिकूसिंह, मिकुसिंह भंवरीबाई एवं जूवा बाई का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी गिरजा कुंवर, पप्पुसिंह, विनोद कुंवर, चेनसिंह एवं शम्भूसिंह उर्फ प्रभूसिंह का 1/16 हिस्सा एवं अन्य सहखातेदारों का राजस्व रेकार्ड में अंकित अनुसार हक हिस्सा अधिकार होकर संयुक्त कब्जा है।

5. इसी तरह परिशिष्ठ (ख) की भूमि में प्रार्थी भंवरसिंह, नानीकुंवर एवं नारायणसिंह का 3/10 हिस्सा, एवं 30/740 हिस्सा एवं अन्य सहखातेदारों का राजस्व रेकार्ड में अंकित अनुसार हक हिस्सा अधिकार होकर संयुक्त कब्जा है। इसी तरह कलम नम्बर 3 में वर्णित परिशिष्ठ (अ) की भूमि प्रार्थी गिरजा कुंवर, पपुसिंह, विनोद कुंवर, चेनसिंह एवं प्रभूसिंह का 1/2 हिस्सा एवं अन्य सहखातेदारों का राजस्व रेकार्ड में अंकित अनुसार हक हिस्सा अधिकार होकर संयुक्त कब्जा है। कलम नम्बर 2 में वर्णित परिशिष्ठ (ब) की भूमि में प्रार्थी भंवरसिंह, नानीकुंवर एवं नारायणसिंह का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी अर्जुनसिंह, सीताकुंवर एवं अमरसिंह का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी

Scanned by CamScanner

अजीतसिंह, नरपतसिंह एवं सत्यदेवसिंह का 1/3 हिस्सा हक अधिकार होकर संयुक्त कब्जा है।

6. कलम नम्बर 2 वर्णित परिशिष्ठ (स) की भूमि में प्रार्थी भंवरसिंह, नापनी कुंवर एवं नारायणसिंह का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी अर्जुनसिंह, सीताकुंवर एवं अमरसिंह का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी अजीतसिंह, नरपतसिंह एवं सत्यदेवसिंह का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी कैलाशसिंह, हरिसिंह, चिकू सिंह, मिकुसिंह एवं भंवरी बाई विपक्षी जीवूबाई का 1/16 हिस्सा, प्रार्थी गिरजा कुंवर, पपुसिंह, विनोद कुंवर एवं चेन सिंह एवं शंमूसिंह उर्फ प्रभूसिंह का 1/4 हिसा, रवेचीदान, मणीराजसिंह, सुगन कुंवर जनक कुंवर का 1/4 एवं लागीसिंह, माधुसिंह का 1/4 हिस्सा हक अधिकार होकर संयुक्त कब्जा है।

7. कलम नम्बर 2 में वर्णित परिशिष्ठ (द) में वर्णित भूमि में प्रार्थी भंवरसिंह, नानी कुंवर एवं नारायणसिंह का 5/80 हिस्सा, प्रार्थी अर्जुनसिंह, सीता कुंवर एवं अमरसिंह का 5/80 हिस्सा प्रार्थी अजीतसिंह नरपतसिंह एवं सत्यदेवसिंह का 5/80 हिस्सा, प्रार्थी कैलाशसिंह हरिसिंह, चिकुसिंह, मिकुसिंह एवं भंवरीबाई, जीवूबाई का 5/80 हिस्सा, प्रार्थी गिरजा कुंवर, पपुसिंह, विनोदन कुंवर, एवं चेनसिंह एवं शंमू सिंह उर्फ प्रभूसिंह का 5/16 हिस्सा, रवेचीदान, मणीराजसिंह, सुगन कुंवर, जनक कुंवर का 1/16 एवं लागीसिंह, माधुसिंह का 5/16 हिस्सा हक अधिकार होकर संयुक्त कब्जा है लेकिन उक्त हिस्से अनुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नही होने से प्रार्थीगण यह हक हिस्सा अपने नाम घोषित कराने के अधिकारी है।

8. कलम नम्बर 4 में वर्णित सजरे के अनुसार नारायणसिंह, अमरसिंह, सत्यदेवसिंह, जीवूबाई, शंभूसिंह के प्रार्थीगण पुत्र पुत्रियां होकर वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तेनी होने से प्रार्थीगण का जन्म से ही हक अधिकार निहीत है और उक्त नारायणसिंह, अमरसिंह, सत्यदेवसिंह, जीवूबाई, शंभूसिंह के नाम उनके हक हिस्से से ज्यादा भूमि अंकित होने से वे वादग्रस्त भूमि को रहन बेह बक्षीश आदि तरीको से हस्तान्तरित करने पर आमादा है और इस नाजायज उदेश्य की पूर्ति में नारायणसिंह, अमरसिंह, सत्यदेवसिंह, जीवूबाई, शंभूसिंह ने वादग्रस्त मोजा आमली की आराजी नम्बर 329 में से 1/2 हिस्सा का दिनांक 23.01.12 को विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया जो विक्रय पत्र हम प्रार्थीगण के मुकाबले अवैध होकर शून्य प्रभावी है और ऐसे अवैध विक्रय पत्र के आधार पर कथित केता को किसी प्रकार का कोई राईट प्राप्त नही होता है लेकिन वादग्रस्त आराजी नम्बर 329 का अजनबी केता विपक्षी सम्पत सामोता को कभी भी कब्जा सिपुर्द नही किया और न ही उसका वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य है फिर भी सम्पत सामोता ने उक्त भूमि का फर्जी बनावटी, नुमाईशी विक्रय पत्र को आधार पर विपक्षी सम्पतलाल एवं मनोहरलाल को दिनांक 23.06.12 को विक्रय कर दी ओर अब सम्पतलाल एवं मनोहरलाल वादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है जबकि वादग्रस्त भूमि में विपक्षपी सम्पत सामोता, सम्पतलाल एवं मनोहरलाल का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नही है लेकिन फर्जी नुमाईशी अवैध विक्रय पत्र की आड में उक्त केता भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है ओर रोजाना भूमि पर आकर लडाई झगडा गाली गलौच कर रहे है ओर हम प्रार्थीगण को हमारे हक हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काश्त नही करने दे रहे है जबकि वादग्रस्त भूमि हम प्रार्थीगण की पुश्तेनी है और हम प्रार्थीगण को हमारी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

पुश्तैनी, हक अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि का उपयोग उपभोग करने से उक्त केता सम्पत सामोता, सम्पतलाल, मनोहरलाल को किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है ऐसी स्थिति में हम प्रार्थीगण को हमारे हक व अधिकारों की रक्षा के लिए मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना न्याय हित मे आवश्यक हो गया है।

9. प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 2, 3 में वर्णित भूमि का कलम नम्बर 6 में दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थीगण एवं उसके परिवार वालों का हक हिस्सा अधिकार होकर संयुक्त आधिपत्य है ओर इस भूमि का अभी तक कानूनी रूप से मिट्स एवं बाउन्डस से विभाजन भी नही हुआ है जिससे प्रार्थीगण को ऋण लेने, लगान जमा कराने, भूमि का विकास करने में दिक्कत आ रही है जिससे प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि का तहसीलदार मावली के जरिये मिटस एवं बाउन्डस से कराना चाहते है।

10. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला मूल वाद आज ही इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त कलम नम्बर 2, 3 में वर्णित भूमि को दौराने वाद रहन बेह बक्षीश आदि तरीको से हस्तान्तरित नही करे, प्रार्थी को उसके उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नही करे, प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नही करे, पाली, डोर रूख, वृक्ष आदि को कोई नुकसान नही पहुंचावे। प्रार्थी को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे तथा बाड, पेड, फसल आदि को किसी प्रकार की कोई क्षति नही पहुंचावे कुंए से फसल पिलाई करने से नही रोके, भूमि को संपरितर्वन नही करे न करावे तथा न ही उक्त भूमि पर निर्माण कार्य स्वयं करे, न करावें। यह कार्य विपक्षीगण स्वंय अपने नोकर चाकर एजेन्ट मित्र परिवारजन आदि से भी नही करे न करावें।

11. पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गयें।

12. विपक्षी सं. 2 एवं 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय आपमें वाद प्रस्तुत करने का कथन स्वीकार है किन्तु प्रार्थीगण का वाद गलत एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने से उसमें प्रार्थीगण को सफलता नही मिलेगी और प्रार्थीगण का वाद पत्र अन्ततः सव्यय खारिज होगा।

13. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या दो के परिशिष्ठ क में अंकित आराजी का गांव आमली में स्थित होना स्वीकार होकर कथन है कि इस भूमि के खातेदार नारायणसिंह, अमरसिंह, सत्यदेवसिंह, जीवूबाई पिता रामसिंह का 1/4 हिस्सा एवं शम्भूसिंह पिता गणेशदान चारण का 1/4 हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 1 सम्पत सामोता ने दिनांक 23.01.2012 को पंजीकृत विकय पत्र के जरिये खरीदकर कब्जा प्राप्त था और प्रार्थी संख्या 1, 5 ने भी भूमि विकय करने के सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर भी विकय पत्र दिनांक 23.01.12 में किये थे। इसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 से हम विपक्षी संख्या 2, 3 ने उक्त कुलिया 1/2 हिस्सा भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 13.06.12 के द्वारा कय कर मौके पर भौतिक आधिपत्य प्राप्त किया और उक्त 1/2 हिस्सा हम विपक्षीगण के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित हो चुका है और उक्त भूमि पर वक्त खरीद से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है शेष तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

14. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

15. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या तीन में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है।

16. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या चार में वर्णित सजरा जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

17. प्रार्थना पत्र की कलम संख्या पांच में वर्णित तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। उक्त विक्रीत भूमि को परिवार के कर्ताखानदान द्वारा संयुक्त हिन्दु परिवाद की पारिवारिक आवश्यकताओ की पूर्ति करने के लिये रूपयों की सख्त आवश्यकता होने से विक्रय की है जिसका स्पष्ट वर्णन विक्रय पत्र दिनांक 23.01.12 की कलम संख्या 2 में किया गया है और इस विक्रय पत्र में उनके विधिक वारिसान् ने भी अपनी सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये है इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार वैध है उक्त आराजी नम्बर 329 के 1/2 हिस्सा भूमि को विकेता खातेदार श्री नारायणसिंह, अमरसिंह, सत्यदेवसिंह, जीवुबाई पिता रामसिंह चारण व शम्भूसिंह पिता गणेशदान जी चारण से विपक्षी संख्या 1 ने दो लाख रूपया में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था और उक्त 1/2 हिस्सा को विपक्षी संख्या 1 से हम विपक्षी संख्या 2, 3 ने दो लाख इगोतर हजार रूपया के प्रतिफल में कय कर कब्जा प्राप्त किया है जिस पर वक्त खरीद से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। हम विपक्षीगण द्वारा कय की गई जमीन में उनके उत्तराधिकारीगण किसी भी सूरत में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नही है बल्की विकेता खातेदारान् के पास और भी जमीन है जिसमें उनके वारिस हिस्सा प्राप्त कर सकते है। उक्त खातेदारान् ने पूर्व में अन्य कई लोगो को भी जमीन विकय कर रखी है। लेकिन प्राथीगण जोर जबरदस्ती हमसे हमारी कयसुदा जमीन को हडपना चाह रहे है इसी नियम से प्रार्थी संख्या 11 द्वारा उसके हिस्से की भूमि विकय करने के बाद एवं प्रार्थी संख्या 1, 5 द्वारा विकय की सहमति देने के बाद भी एवं प्रार्थी संख्या 12 से 16 जो प्रार्थी संख्या 11 जीवाबाई के वारिस है ने अपनी माता जीवुबाई द्वारा जमीन बेचने के पश्चात् अपने नाना की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने हेतु आपस में मिलीभगत कर यह मिथ्या तथ्यों पर आधारित झुठा मुकदमा पेश किया है जो सव्यय खारीज होने योग्य है।

18. मौके पर सभी सहखातेदारन के मध्य बंटवाडा किया गया है जिससे हम विपक्षीगण भी हमारे हक हिस्से की जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है केवल मात्र जमीन राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित है इसलिये यदि उक्त भूमि का मौके पर कब्जे एवं राजस्व रेकार्ड मे अंकित हिस्सेनुसार बंटवाडा करा दिया जावे तो हम विपक्षीगण को कोई आपत्ति नही है।

19. खातेदार श्री नारायणसिंह, अमरसिंह, सत्यदेवसिंह, जीवुबाई पिता रामसिंह चारण व शम्भूसिंह पिता गणेशदान जी चारण ने जो 1/2 हिस्सा विकय किया है वह विकय की सम्पूर्ण विधिक प्रकियाओं का पलान करते हुए कय किया है अर्थात विपक्षी संख्या 10 ने उक्त भूमि को जरिय रजिस्टर्ड विकय पत्र कग्र कर भूमि का अधिपत्य प्राप्त किया है एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र से विपक्षी संख्या 10 के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत होकर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज हुई है और इसके पश्चात् विपक्षी संख्या 1 ने उसकी खातेदारी की जमीन को हम विपक्षी संख्या 2 व 3 को पंजीकृत विकय विलेख के जरिए विकय कर कब्जा सिपुर्द किया है जो रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हम विपक्षी संख्या 2 व 3 के नाम पर अंकित हो चुकी है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

हमारे खिलाफ किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारी नही है और न ही कानूनन खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की ही जा सकती है। प्रार्थीगण का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है और न ही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि हम विपक्षी संख्या 2 व 3 आराजी नम्बर 329 के 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार है और अपने हिस्से कब्जे की भूमि पर परिवारजन सहित शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक हिस्सा अधिकार नही है ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण हमारे विरूद्ध किसी भी प्रकार निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र है जो पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार है।

20. प्रार्थीगण हम विपक्षीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की दाद प्राप्ति के अधिकारी नही है। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में तथ्यों छुपाकर हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थीगण संख्या 11 ने अन्य सहखातेदारान के साथ अपना हिस्सा विपक्षी संख्या 1 को विक्रय कर उनके पक्ष में विक्रय पत्र की रजिस्ट्री कराई, उसे सही माना है और प्रार्थी संख्या 1, 5 ने उक्त विक्रय बाबत् अपनी पूर्ण सहमति देकर सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये है विपक्षी संख्या 1 ने अपनी क्रयसुदा खाते कब्जे की जमीन को हम विपक्षी संख्या 2 व 3 पुनः पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर दी है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में हम विपक्षी संख्या 2, 3 के नाम दर्ज है जिस पर विपक्षी संख्या 2 व 3 काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण ने आपस में मिलीभगत कर धोखाधडी करने की नियत से एवं नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से उक्त झूठे एवं वेग कथनों के आधार पर यह मुकदमा किया है। अतः इस आधार पर भी प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से हम विपक्षी संख्या 2, 3 के विरूद्ध कोई दाद प्राप्ति के अधिकारी नही है। प्रार्थी संख्या 1, 5, 11 का उक्त कृत्य अवैधानिक होकर एक गम्भीर अपराध की श्रेणी में आता है।

21. प्रार्थीगण जोर जबरदस्ती हमसे हमारी क्रयसुदा जमीन को हडपना चाह रहे है इसी नियत से प्रार्थी संख्या 12 से 16 जो प्रार्थी संख्या 11 जीवुबाई के वारिस है ने अपनी माता जीवुबाई द्वारा जमीन बेचने के पश्चात् अपने नाना की सम्पत्ति में हिस्सा प्राप्त करने हेतु आपस में मिलीभगत कर यह मिथ्या तथ्यों पर आधारित झूठा मुकदमा माननीय न्यायालय में पेश किया है जबकि उनका कानूनी रूप से इनके नाना की जमीन में कोई स्वत्व अधिकार नही बनता है क्योंकि इनकी माता जीवुबाई प्रार्थी संख्या 11 जीवित है और उसने स्वयं उक्त जमीन को बेचा है अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

22. हमने प्रकरण का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित बिन्दुओ पर निम्नानुसार विवेचन हैः-

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरणः</u>- हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थना ग्रस्त भूमि मौजा आमली, पटवार हल्का आमली तहसील मावली के आराजी नम्बर 329 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान में रवेचीदान, मणीराजसिंह, जनक कुंवर पिता शंकरदान के नाम 1/4 हिस्सा, लागीसिंह, माधुसिंह पिता लालदान के नाम 1/4 हिस्सा तथा विपक्षी 2 एवं 3 के नाम 1/2

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से को विपक्षी संख्या 1 ने तत्कालीन खातेदार नारायणसिंह, अमरसिंह, सत्यदेवसिंह, जीवूबाई (प्रार्थी संख्या 11) पिता रामसिंह चारण एवं शम्भूसिंह पिता गणेशदान चारण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। प्रार्थी संख्या 11 प्रार्थी संख्या 12 से 16 की माता है जिसको उक्त भूमि में हिस्सा अपने पिता की विरासत से प्राप्त हुआ है। प्रार्थी 12 से 16 अपनी माता द्वारा बेची गई जमीन में अपने नाना की सम्पत्ति होने के नाते माता के जीवित रहते हिस्सा प्राप्त करना चाहते है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि जिस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी उसमें प्रार्थी संख्या 1 एवं 5 सहमतिकर्ता रहे है। विपक्षी संख्या 1 ने अपना 1/2 हिस्सा विपक्षी 2 एवं 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेच दिया। जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। चूंकि प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 एवं 3 भूमि क्रय कर खातेदार बने है एवं पूर्ण प्रतिफल अदा कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है विपक्षी संख्या 2 एवं 3 सदभावी क्रेता है। वर्तमान में उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि के कोई भी प्रार्थीगण खातेदार नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित शेष प्रार्थना ग्रस्त भूमि से विपक्षीगण का कोई लेना देना नही है। ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या प्रार्थना ग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. <u>सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति</u> :– विपक्षी सं. 1 ने प्रार्थना ग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा विपक्षी सं. 2 एवं 3 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय किया जाने से विपक्षी सं. 2 एवं 3 वर्तमान में खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना ग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

23. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थना ग्रस्त भूमि मौजा आमली, पटवार हल्का आमली तहसील मावली के आराजी नम्बर 329 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा भूमि वर्तमान में रवेचीदान, मणीराजसिंह, जनक कुंवर पिता शंकरदान के नाम 1/4 हिस्सा, लागीसिंह, माधुसिंह पिता लालदान के नाम 1/4 हिस्सा तथा विपक्षी 2 एवं 3 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से को विपक्षी संख्या 1 ने तत्कालीन खातेदार नारायणसिंह, अमरसिंह, सत्यदेवसिंह, जीवूबाई (प्रार्थी संख्या 11) पिता रामसिंह चारण एवं शम्भूसिंह पिता गणेशदान चारण से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि जिस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी। जिसका राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। वर्तमान में उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि के कोई भी प्रार्थीगण खातेदार नही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित शेष प्रार्थना ग्रस्त भूमि से विपक्षीगण का कोई लेना देना नही है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन भी खातेदार के पक्ष में साबित होता है। प्रार्थी खातेदार नहीं होने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये गये है। ऐसी स्थिति विपक्षी सं. 2 एवं 3 खातेदार काश्तकार होने से खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

जारी किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner